रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092020-221608
CG-DL-E-08092020-221608

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2697] **नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2020/भाद्र 16, 1942**
No. 2697] **NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2020/BHADRA 16, 1942**

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2020

का.आ. 3029(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की उपेक्षानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2681(अ), तारिख 26 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनकों उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 26 जुलाई, 2019, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, प्रारुप अधिसूचना के प्रतिउत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, लखेरी घाटी वन्यजीव अभयारण्य परलाखेमुंडी वन संभाग और बरहामपुर वन क्षेत्र के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अधीन पूर्ण तथा ओडिशा के गजपति जिलों में स्थित है और भौगोलिक रूप से, यह पूर्व दिशा में देशांतर

84°16'43.7" और 84°26'28.1"और उत्तर में अक्षांश19°12'6.4" और 19°23'41.9" के बीच स्थित है और अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 185.87 वर्ग किलोमीटर है;

और, रामनदी और घोदाहादा नदी का जलग्रहण क्षेत्र, समृद्ध वनस्पति और जीवजंतु जैव विविधता, प्रसिद्ध चट्टान की विशेषताएं, मनोरम भू-दृश्य और एक मेगा शाकाहारी, हाथी और प्रमुख पशु, विशाल भारतीय गिलहरी महत्त्वपूर्ण रूप में जाने जाते हैं और रामनदी और घोदाहादा दोनों नदियाँ पीने और घरेलू उपयोग योग्य जल और कृषि फसल के लिए सिंचाई का स्रोत होने के कारण अभयारण्य से जल निकासी को छोड़ देती हैं और स्थानीय लोगों और क्षेत्र की जीवन रेखा के लिए जीविका का स्रोत बन जाती हैं;

और, लखेरी घाटी वन्यजीव अभयारण्य में वृक्षों की लगभग 97 प्रजातियां, झाड़ियों और जड़ी बूटियों की 28 प्रजातियां, पर्वतारोहियों की 16 प्रजातियां, घासों की 14 प्रजातियां, फर्न की 38 प्रजातियां, ऑर्किड की 26 प्रजातियां, स्तनधारियों की 33 प्रजातियां, पक्षियों की 90 प्रजातियां, 05 उभयचरों की प्रजातियां, सरीसृपों की 31 प्रजातियां और मछलियों की 17 प्रजातियां है और इसलिए समृद्ध पुष्प और जीव-जंतु जैव विविधता का प्रदर्शन करती है;

और, लखेरी घाटी वन्यजीव अभयारण्य से महत्त्वपूर्ण वनस्पति अभिलिखित की गई है जिसमें *एमबलिका ऑफिसिनालस* (आमला),*टरमिनालिया अर्जुना* (अर्जुन), *सराका इंडिका* (अशोक), *फिकस रेलिगियोसा* (अस्वस्था (पपल), *टरमिनालिया बेलेरिका* (बहाडा), *फिसकस रेलिगियोसा* (बारा), *एगले मरमेलोस* (बेई), *सेन्टालम एल्बम* (चंदन), *माइकलियाचम्पाका* (चम्पा), *फिशसग्लोमेरेटा* (डिमिरी), *आइलैंथसएक्सेल* (गोहिरा), *टर्मिनलियाचीकुला* (हरिदा),*अज़ारदिराद इंडिका* (नीम),*बुटेया मोनोस्पर्मा* (पलासा),*सोयमिडा फेबरीफुगे* (रोहिनी),*स्ट्रेबलस एसपर* (सहादा), *हेमिडेसमस इंडिकस* (अनन्तामुला), *कुरकुमा स्पप.* (बानाहल्दी), *फेलैंथसनिरूरी* (बडियनला), *एंड्रोग्रैफिस पैनकुलाटा* (बीहुईनीम), *वुडफोर्डिया फर्टिकोसा* (धतुकी), *नक्टेन्थिस अर्बोर्टेरिस* (गैंगासुई), *स्मिलैक्स मैक्रोपाला* (मुटुरी), *जिमनेवा सिल्विस्ट्रीस* (गुडमरी), *एसपैरागस रेसेमोसस* (सताबरी),*कसकुटा रेफ्लेक्सा* (निर्मली), *सायनोडोन डेक्टाइलोन* (डूबा),*सिमबोपोगोन साइट्रेट, वांडा टेस्टासी* (रसना), आदि सम्मिलित हैं;

और, लखेरी घाटी वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख जीवजंतु *पेरटोसस गिगेंटस* (बुदुदी), *मानिस क्रसिकाडुडाटा* (बज्रकपटा), *कूनोन अल्पाइन* (बलिया कुकुर), *फेलिस चाउस एफिनिस* (बानाबीरदी (कटाश), *सुस स्क्रोफा* (बरहा), *रउतफा बिकोलर* (बेलेरामुसा), *मेलुरस उरसिनस* (भालू) ,*एलाफस मैक्सीमम* (हाथी), *हेंयना हेंयना* (हेताबघा), *हिस्टीरिक्स इंडिया* (जिंका), *पैंथेरा प्राडस* (कलारापतिरिया बाघ), *मुंटियासस मुन्तिजाक* (कुटरूआ), हर्पेस्टेस *एडवर्ड्स* (नेउलहटिया), *हर्पेस्टेस अयूप्रोटेक्स* (नेउला) (कुजी), *लुट्रा परसपिसिलाटा* (ओधा), *कैनिस लुपस* (रामासियाल), *विवर्रूकुला इंडिका* (सलियापंती), *सरवस यूनिकोलर* (सांभर), *मेगालिमा जेयेलनिका* (बाया), *मेरोप्स ओरिएंटल* (टिया), *रैकोफोरस लेकेमिस्टाक्स* (कत्था बंगा), *बाटागुर बसका* (नदी कैंचा), *लिसेमाइस पंकटाटा* (पोखरी कैंचा), *गावियालिस गैनेटिकस* (थान्टिया कुम्भिरा), *गिरिगिट जायलानिकस* (बहुरूपी एंडुआ), *वेरानस फाल्केवेंस* (मटिया गोढ़ी), *एरिक्स जोनी* (दो-मुंडियाबोआ), *पायथन मोलुरस मोलुरस* (अजगर), *क्राइसोपेलिया ऑर्नेट* (उदांता सापा), *बुंगरूस फासिआटस* (राणा सापा), *नाजा ऑक्सियाना* (कालानाग), *ओफियो फैगसहन्नाह* (अहीराज), *वालागोनिया अट्टू* (बालिया), *क्लारियस बैट्राचल* (मगुरा), आदि हैं;

और, लखेरी घाटी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की

धारा 3 की उपधारा और (1) उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओडिशा राज्य के गजपति जिला के लखेरी घाटी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 3 (तीन) किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार लखेरी घाटी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों 3 (तीन) किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 244 वर्ग किलोमीटर है।

(2) लखेरी घाटी वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के सीमांकित होते हुए लखेरी घाटी वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख, उपाबंध-IIग, उपाबंध-IIघ,** और **उपाबंध-IIङ** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और लखेरी घाटी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** के सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी.-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) पर्यटन;

(iv) सिंचाई और निर्माण विभाग (सड़क और भवन);

(v) राजस्व विभाग और ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(vi) कृषि;

(vii) राजस्व;

(viii) शहरी विकास;

(ix) ग्रामीण विकास;

(x) नगरपालिका;

(xi) पंचायती राज; और

(xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैराग्राफ-4 में सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर इस खंड में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना विधि और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,

2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.**- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) *संरक्षित क्षेत्र* की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि *संरक्षित क्षेत्र* की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.**-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.-पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**-ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों)ईएसएम (का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**-जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.**-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.**-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना

सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-**पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-**यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.-**लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-**(i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-**पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**वर्णन**
(1)	**(2)**	**(3)**
अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या

		मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और बृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगी। (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त ,2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल ,2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
आ. विनियमित क्रियाकलाप		
9.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे

		या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:- परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
11.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।
13.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
14.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
15.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।

16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित ।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात ।
21.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिस्रांव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिस्रांव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिस्रांव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
इ. संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्रम सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
(i)	कलेक्टर, गजपति	पदेन, अध्यक्ष;
(ii)	कलेक्टर, गंजम के प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	पुलिस अधीक्षक, गजपति	सदस्य;
(iv)	पुलिस अधीक्षक, गंजम के प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(viii)	डीएफओ, बेरहामपुर वन प्रभाग	सदस्य;
(ix)	प्रभागीय वनाधिकारी-सह-वन्यजीव वार्डन, परलाखेमुंडी वन प्रभाग	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश–निबंधन.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और तत्पश्चात निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रींय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना

के अनुसूची के अधीन ऐसे अनुसूची में क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/01/2019-ईएसजेड]

डॉसतीश चन्द्र गढ़कोटी ., वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

लखेरी घाटी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन और लखेरी घाटी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण

अनुसूची-क

अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा चण्डीपुत ग्राम के निकट त्रि-जंक्शन-पी.डब्ल्यू.डी सड़क से (1)चण्डीपुत से मोहाना (2) चण्डीपुत से पुदामरी (3) चण्डीपुत से चन्द्रागिरितक आरंभ होती है। सीमा रेखा उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ती है और 4 (चार) किलोमीटर की दूरी पर महाकुम्पा ग्राम से मुड़ती है। इसके बाद रेखा पी.डब्ल्यू.डी सड़क और कुरुकुत्ता ग्राम से होते हुए पूर्व दिशा में मुड़ती है और 8 (आठ) किलोमीटर की दूरी को पार करके कुट्टुमा में मिलती है। इसके बाद, रेखा दक्षिण-पूर्व दिशा में मुड़ती है और गजपती-गन्जम की जिला सीमा को पार करके और 6 (छः) किलोमीटर को पार करके बलिपटा ग्राम में मिलती है। इसके बाद रेखा जुनापल्ली और परालाखेमुन्दी-बेरहमपुर वन संभाग की जिला सीमा को पार करके दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़ती है और बदझारा नदी और 5 (पाँच) किलोमीटर को पार करके सिंधाबा ग्राम में मिलती है। इसके बाद रेखा दक्षिण दिशा में मुड़कर और 7 (सात) किलोमीटर को पार करके बिजयनगरागडा ग्राम में मिलती है। इसके बाद रेखा घोदाहादा सिंचाई परियोजना को पार करके दक्षिण दिशा में मुड़ती है और 10(दस) किलोमीटर को पार करके गोपालपुर ग्राम में मिलती है। इसके बाद रेखा दक्षिण-पश्चिम दिशा में मुड़कर और 5 (पाँच) किलोमीटर को पार करके पनीपट्टु ग्राम में मिलती है। इसके बाद रेखा गंजम-गजपति की जिला सीमा को पार करके पश्चिम दिशा में मुड़ती है और 9(नौ) किलोमीटर को पार करके सैलीलती ग्राम में मिलती है। इसके बाद रेखा उत्तर-पश्चिम दिशा में मुड़ती है

और 3 (तीन) किलोमीटर को पार करके डेराबा ग्राम में मिलती है। इसके बाद रेखा पश्चिम दिशा में मुड़कर और 5(पाँच) किलोमीटर को पार करके पी.डब्ल्यू. सड़क में मिलती है। इसके बाद रेखा उत्तर-पश्चिम दिशा में मुड़कर और 3.5 (साढ़ेतीन) किलोमीटर को पार करके उनकापुर ग्राम में मिलती है। इसके बाद रेखा उत्तर-पश्चिम दिशा में मुड़ती है और 2.5(ढाई) किलोमीटर को पार करके तेन्तुलीखुंती ग्राम में मिलती है। इसके बाद रेखा उत्तर-पूर्व दिशा में मुड़कर और 2 (दो) किलोमीटर को पार करके नाला में मिलती है। इसके बाद रेखा पश्चिम दिशा में मुड़ती है और 5(पाँच) किलोमीटर को पार करके जलीबरी ग्राम में मिलती है। इसके बाद रेखा उत्तर दिशा में मुड़ती है और 1(एक) किलोमीटर को पार करके बबनपुर में मिलती है। इसके बाद रेखा उत्तर-पूर्व दिशा में मुड़कर और 7(सात) किलोमीटर को पार करके धादिअम्बा, कुसुमापुर और रानीखामा ग्रामों के त्रि-जंक्शन को छूकर, आरंभिक बिंदु में मिलती है।

अनुसूची-ख

उत्तर: मोहाना से लुहागुडी पी.डब्ल्यू.डी सड़क और तालासिंगी, हंडीमा और रामपडर ग्राम।

पूर्व: बेरहमपुर वन संभाग और खजुरिया और पपुलीपडर ग्राम के गैदा रिज़र्व वन।

दक्षिण: गंजम और गजपति के गैदा रिज़र्व वन एवं जिला सीमा।

पश्चिम: सिंकुलीपडर और बघामरी ग्राम और गुईमेरा रिज़र्व वन।

उपाबंध-IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन और लखेरी घाटी वन्यजीव अभयारण्य का अवस्थान मानचित्र

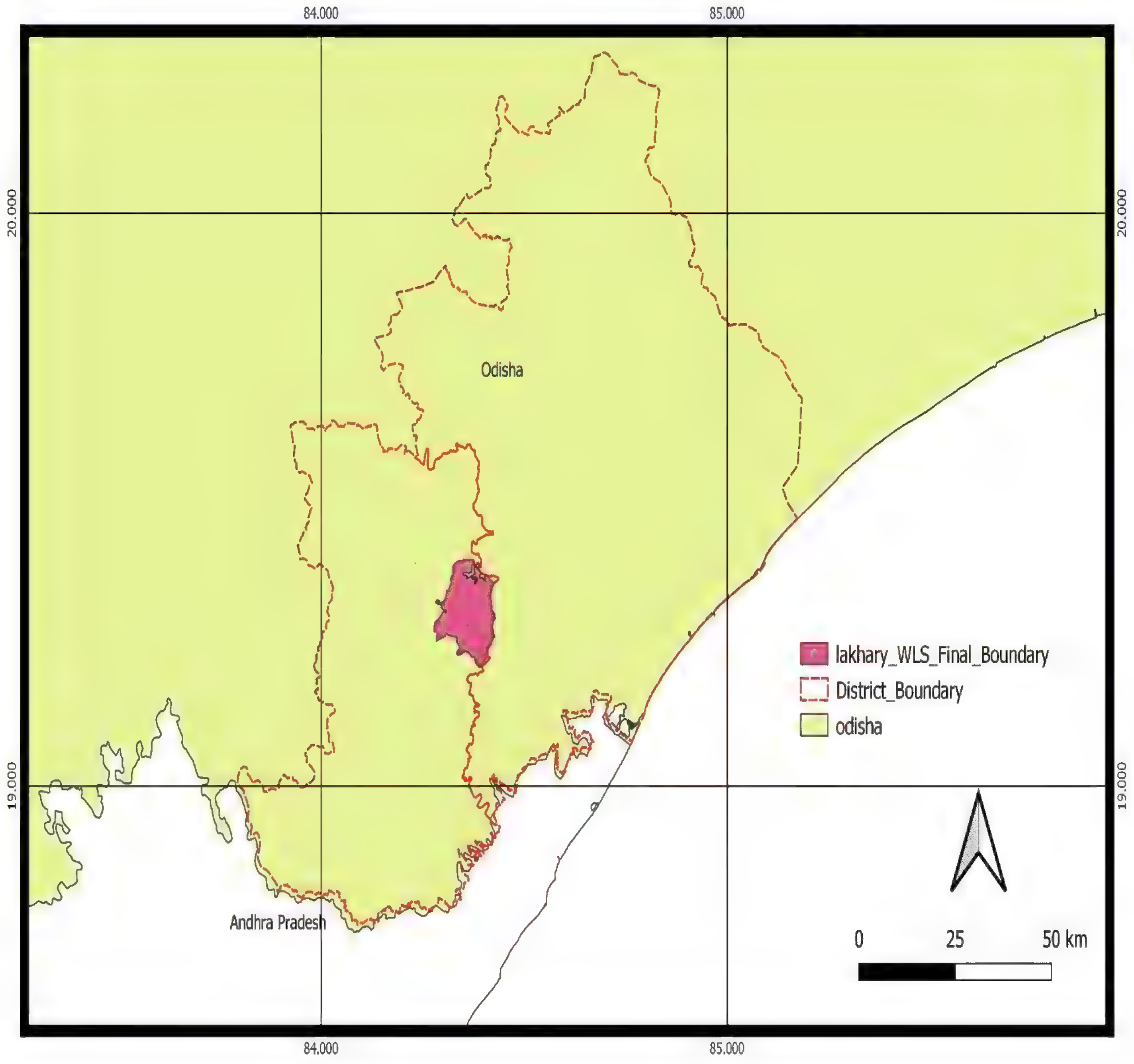

उपाबंध-IIख

उड़ीसा राज्य में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और लखेरी घाटी वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र

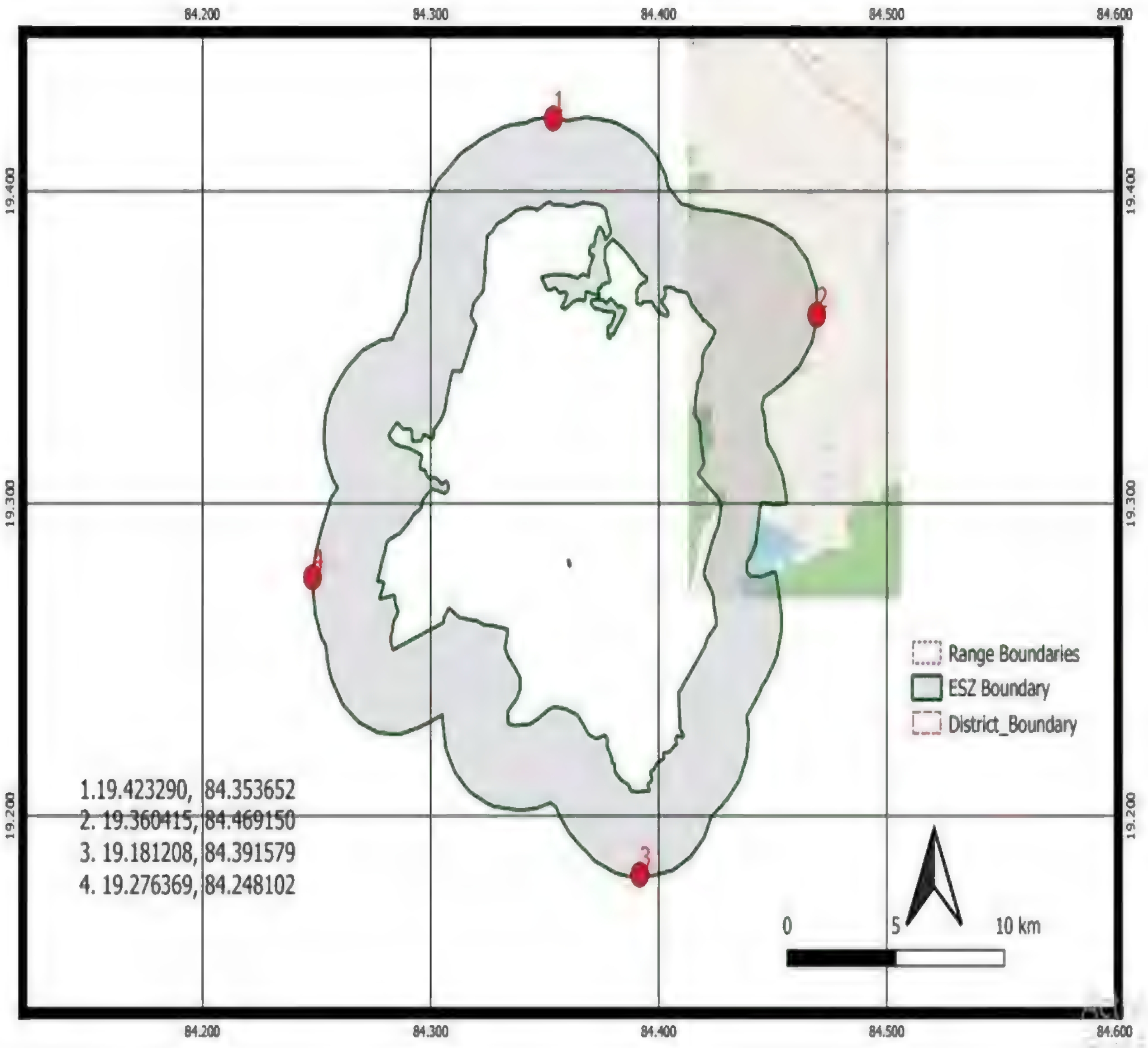

उपाबंध-IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ लखेरी घाटी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

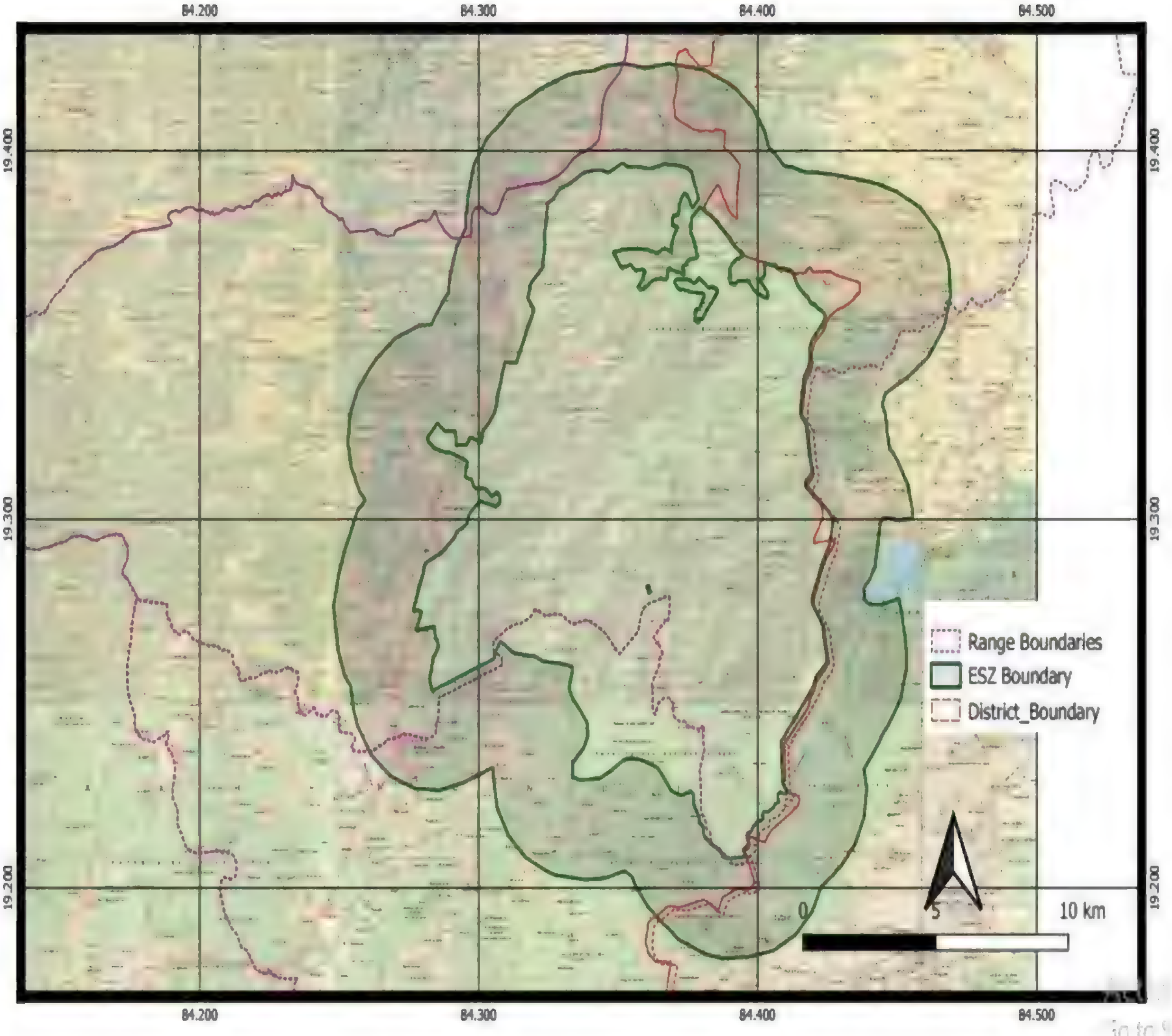

उपाबंध-IIघ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ लखेरी घाटी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमि उपयोग पैटर्न को दर्शाने वाला मानचित्र

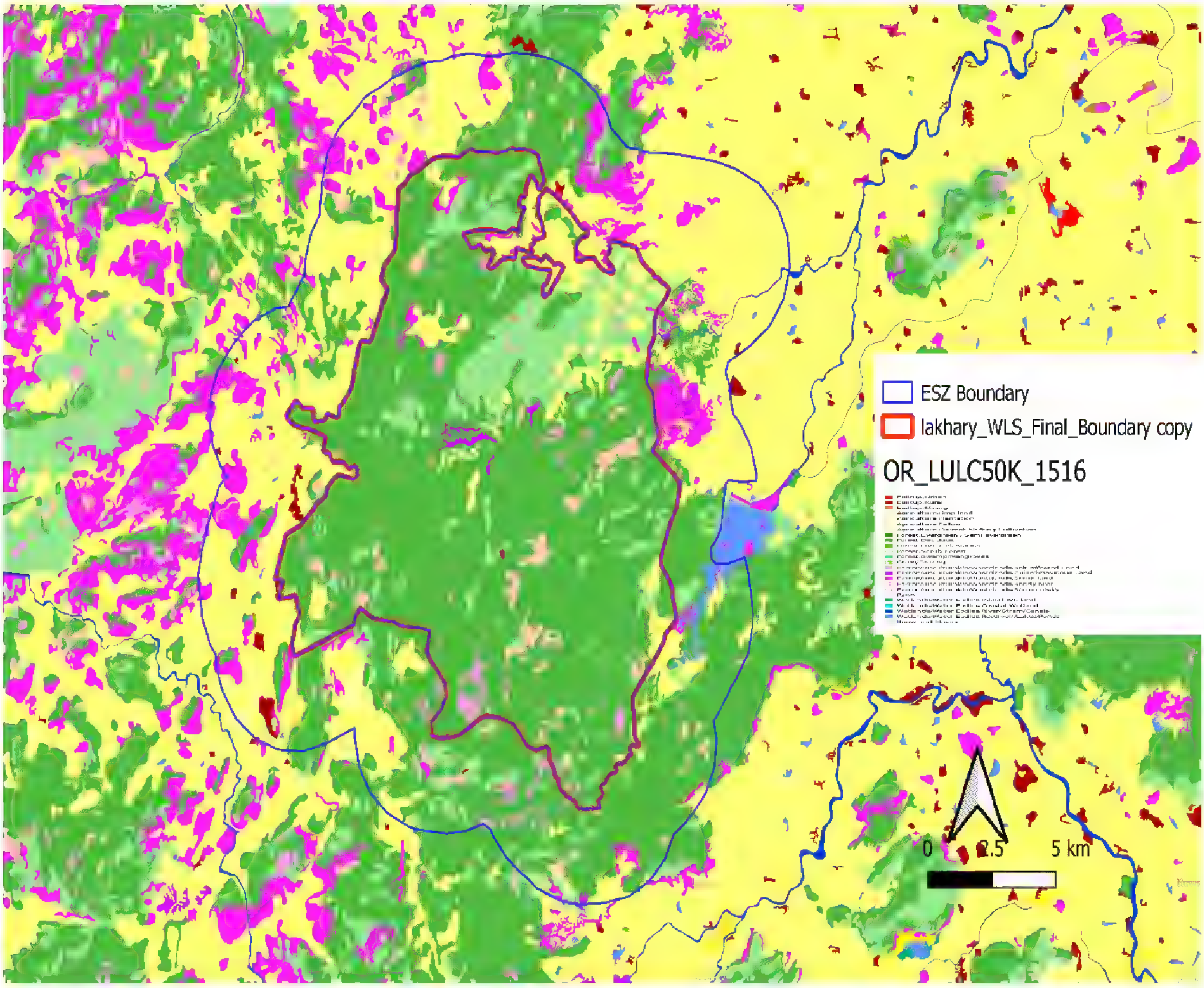

उपाबंध-IIङ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ लखेरी घाटी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

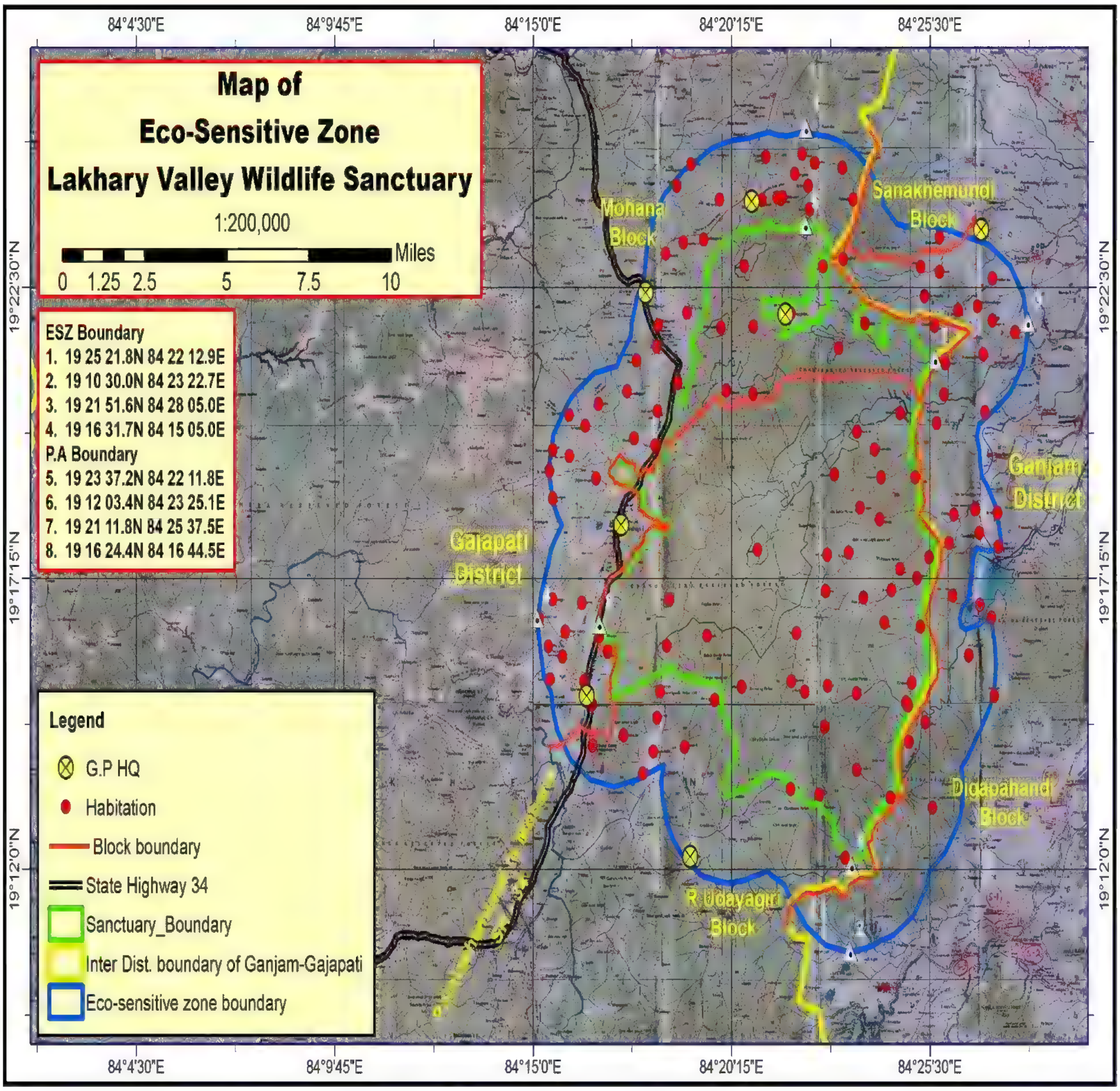

उपाबंध-III

सारणी क: लखेरी घाटी वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख अवस्थानों के भू- निर्देशांक

दिशा	अक्षांश	देशांतर
उत्तर -	उ 19° 23' 37.2"	पू 84° 22' 11.8"
दक्षिण -	उ 19° 10' 30.0"	पू 84° 23' 22.7"
पूर्व -	उ 19° 21' 51.6"	पू 84° 28' 5.0"
पश्चिम -	उ 19° 16' 31.7"	पू 84° 15' 5.0"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

दिशा	अक्षांश	देशांतर
उत्तर	उ 19° 25' 21.8"	पू 84° 22' 12.9"
पूर्व	उ 19° 21' 11.8"	पू 84° 25' 37.5"
दक्षिण	उ 19° 12' 3.4"	पू 84° 23' 25.1"
पश्चिम	उ 19° 16' 24.4"	पू 84° 16' 44.5"

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ लखेरी घाटी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	राजस्व ग्राम के नाम	अक्षांश	देशांतर
1	2	3	4
1	महाकुम्पा	उ-19° 24' 19.9"	पू- 84° 18' 48.2"
2	कम्पागुडा	उ-19° 24' 5.1"	पू- 84° 19' 55.6"
3	पथरागाडा	उ-19° 23' 22.3"	पू- 84° 19' 30.0"
4	धानुपारा	उ-19° 23' 19.1"	पू- 84° 18' 58.0"
5	तारामाला	उ-19° 23' 8.6"	पू- 84° 18' 29.1"
6	जुरीलापारा	उ-19° 22' 55.8"	पू- 84° 17' 37.2"
7	चंदीपुत	उ-19° 22' 26.7"	पू- 84° 18' 0.0"
8	खुमभीगांव	उ-19° 22' 3.1"	पू- 84° 19' 4.3"
9	कपुरीपेटा	उ-19° 21' 50.3"	पू- 84° 18' 17.8"
10	रानीखामा	उ-19° 21' 58.6"	पू- 84° 17' 32.5"
11	अकिली	उ-19° 21' 24.9"	पू- 84° 18' 16.8"
12	कुसमपुर	उ-19° 21' 17.0"	पू- 84° 17' 13.8"
13	राजपुर	उ-19° 21' 12.6"	पू- 84° 17' 46.3"

14	धीमीरिजोला	उ-19° 20’ 38.4”	पू- 84° 17’ 29.6”
15	मनीकापुर	उ-19° 20’ 47.3”	पू- 84° 18’ 49.5”
16	गोबिन्दापुर	उ-19° 20’ 16.2”	पू- 84° 18’ 17.3”
17	बैपानी	उ-19° 20’ 23.9”	पू- 84° 16’ 42.6”
18	धानुपाजु	उ-18° 19’ 42.0”	पू- 84° 17’ 45.6”
19	जुबागांव	उ-19° 19’ 37.9”	पू- 84° 18’ 15.6”
20	धाडियाम्बा	उ-19° 20’13.0”	पू- 84° 15’ 57.0”
21	जोदाम्बा	उ-19° 19’ 59.5”	पू- 84° 16’ 21.4”
22	बबनपुर	उ-19° 19’ 34.7”	पू- 84° 15’ 31.7”
23	किहिसिन्गी	उ-19° 19’ 27.8”	पू- 84° 15’ 52.3”
24	जालाबारी	उ-19° 19’ 13.0”	पू- 84° 15’ 26.0”
25	जगन्नाथपुर	उ-19° 19’ 3.4”	पू- 84° 16’ 37.9”
26	बरीगांव	उ-19° 18’ 41.5”	पू- 84° 15’ 30.4”
27	चन्द्रागिरि	उ-19° 18’ 12.7”	पू- 84° 17’ 20.7”
28	कन्तासारु	उ-19° 17’ 6.3”	पू- 84° 15’ 35.1”
29	जीरन्गो	उ-19° 16’ 51.7”	पू- 84° 15’ 30.2”
30	तेन्तुलीखुन्ती	उ-19° 16’ 32.8”	पू- 84° 15’ 9.5”
31	जीरन्गो कॉलोनी	उ-19° 16’ 12.4”	पू- 84° 15’ 47.7”
32	लम्बापाडा	उ-19° 15’ 56.4”	पू- 84° 17’ 0”
33	तन्कलीपडर	उ-19° 16’ 12.9”	पू- 84° 16’ 45.0”
34	मनीकापुर	उ-19° 15’ 24.4”	पू- 84° 16’ 44.3”
35	लाबरसिन्गी	उ-19° 15’ 11.8”	पू- 84° 16’ 8.8”
36	लुबुरसिन्गी	उ-19° 14’ 59.0	” पू- 84° 16’ 34.4”
37	पितमाहुला	उ-19° 24’ 7.2”	पू- 84° 23’ 25.9”
38	कुट्टमा	उ-19° 24’ 20.0”	पू- 84° 22’ 15.7”
39	बहरादारा	उ-19° 23’ 55.5	” पू- 84° 22’ 20.3”
40	कतीमा	उ-19° 24’ 38.2”	पू- 84° 23’ 10.8”
41	देन्गाम्बा	उ-19° 24’ 32.1”	पू- 84° 21’ 56.2”
42	कुरुकुट्टा	उ-19° 24’ 55.5”	पू- 84° 22’ 6.8”
43	देन्गाम्बा	उ-19° 24’ 52.4”	पू- 84° 21’ 9.9”
44	सिन्कुलीपडर	उ-19° 24’ 1.9”	पू- 84° 20’ 48.3”
45	पदासाही	उ-19° 24’ 5.2”	पू- 84° 21’ 4.0”
46	गुबुरीखाता	उ-19° 24’ 6.2”	पू- 84° 21’ 33.6”
47	पट्टापडर	उ-19° 24’ 8.0”	पू- 84° 21’ 37.2”
48	पुईपडर	उ-19° 24’ 8.0”	पू- 84° 21’ 27.7”
49	अन्धारी	उ-19° 21’ 51.5”	पू- 84° 23’ 84.2”

50	महेन्द्रागढ़	उ-19° 13' 44.1"	पू- 84° 16' 14.3"
51	सुगडा	उ-19° 14' 43.3"	पू- 84° 18' 16.9"
52	अरखापाडा	उ-19° 16' 2.0"	पू- 84° 18' 32.8"
53	भंडारीसाही	उ-19° 14' 9.1"	पू- 84° 18' 11.1"
54	तुबुरुबा	उ-19° 13' 44.1"	पू- 84° 17' 54.6"
55	देरबा	उ-19° 13' 43.6"	पू- 84° 18' 30.30"
56	सियालिलाती	उ-19° 12' 12.3"	पू- 84° 19' 8.9"
57	कौनपाडा	उ-19° 12' 48.4"	पू- 84° 17' 43.8"
58	लुहाखम्बा	उ-19° 13' 20.2"	पू- 84° 19' 14.3"
59	झोल्ला	उ-19° 13' 40.1"	पू- 84° 19' 34.3"
60	कुरुडाल	उ-19° 14' 12.4"	पू- 84° 19' 2.3"
61	रन्दीबा	उ-19° 08' 16.6"	पू- 84° 15' 9.1"
62	जुबासाही	उ-19° 12' 51.9"	पू- 84° 20' 25.3"
63	धानुपाडा	उ-19° 12' 30.5"	पू- 84° 20' 34.6"
64	बैसिन्गी	उ-19° 13' 11.1"	पू- 84° 20' 53.7"
65	गन्दीली	उ-19° 13' 26.8"	पू- 84° 21' 47.7"
66	तम्बाल	उ-19° 12' 12.07"	पू- 84° 23' 15.0"
67	पानीपाटु	उ-19° 10' 59.8"	पू- 84° 23' 53.6"
68	अरखापाडा	उ-19° 11' 7.3"	पू- 84° 24' 2.6"
69	मुनीन्गाबरहा	उ-19° 13' 2"	पू-84° 24' 38.3"
70	देखीली	उ-19° 13' 48.6"	पू-84° 24' 43.7"
71	बडापुर	उ-19° 14' 37.8"	पू-84° 25' 22.7"
72	नौगांव	उ-19° 14' 57.4"	पू-84° 24' 55.5"
73	प्रतापुर	उ-19° 16' 23.1"	पू-84° 25' 14.7"
74	तुरुपन्का	उ-19° 15' 22.7"	पू-84° 25' 1.2"
75	महुलाबाडा	उ-19° 15' 58.8"	पू-84° 26' 35.7"
76	महुलापरहा	उ-19° 14' 57.7"	पू-84° 25' 32.6"
77	खलीकन्धागांव	उ-19° 18' 2.6"	पू-84° 26' 48.9"
78	खजुरिया	उ-19° 17' 1.0"	पू-84° 25' 48.8"
79	धिम्ब्रीझोली	उ-19° 17' 53.1"	पू-84° 26' 0.1"
80	बिजयनगरगाडा	उ-19° 17' 49.2"	पू-84° 27' 19.4"
81	गोबारबलसा	उ-19° 17' 49.5"	पू-84° 27' 43.3"
82	खम्बरीगांव	उ-19° 18' 2.6"	पू-84° 26' 48.9"
83	बरीताला	उ-19° 18' 30.7"	पू-84° 27' 20"
84	पटीपाडा	उ-19° 18' 24.8"	पू-84° 25' 5.5"
84	नौ संकराखली	उ-19° 18' 24.8"	पू-84° 26' 8.2"

85	पुराना संकराखली	उ-19° 18' 30.4"	पू-84° 26' 40.8"
86	पुटखली	उ-19° 19' 41.9"	पू-84° 26' 9.1"
87	बडापाडा	उ-19° 20' 19.3"	पू-84° 25' 26.9"
88	श्यामसुन्दरपुर	उ-19° 21' 18.2"	पू-84° 26' 54.3"
89	सिन्धाबा	उ-19° 21' 13.7"	पू-84° 27' 28.6"
90	गोथोकेली	उ-19° 21' 47.2"	पू-84° 25' 33.5"
91	बलीबन्धा	उ-19° 22' 20.1"	पू-84° 25' 21.3"
92	जौनीपल्ली	उ-19° 22' 06"	पू-84° 26' 12.7"
93	बलीपट्टी	उ-19° 22' 52.1"	पू-84° 25' 15.6"
94	चन्चादापल्ली	उ-19° 13' 23.8"	पू-84° 32' 44.6"
95	पुडाखाला	उ-19° 23' 07"	पू-84° 28' 10.9"
96	अल्लारा	उ-19° 22' 52.7"	पू-84° 22' 42.2"
97	धेपागुडा	उ-19° 22' 2.4"	पू-84° 21' 47.8"

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र.-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2020

S.O. 3029(E).—WHEREAS, a draft notification as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2681 (E), dated the 26th July, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 26thJuly, 2019;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Lakhary Valley Wildlife Sanctuary is situated entirely within Gajapati district of Odisha under the administrative jurisdiction of Paralakhemundi Forest Division and Berhampur Forest Circle and geographically, it is located between 84°16'43.7" and 84°26'28.1" East Longitude and between 19°12'6.4" and 19°23'41.9" North Latitude and the total area of the Sanctuary is 185.87 square kilometers;

AND WHEREAS, catchment area of Ramnadi and Ghodahada River, rich floral and faunal biodiversity, notable rock features, recreational panoramic landscape, and elephant, a mega herbivore and the flagship animal, giant Indian squirrel are *inter alia* considered as the factors of significance and both Ramnadi and Ghodahada rivers being the source of potable and domestic useable water and irrigation for agriculture crop owe the drainage from the Sanctuary and become a source of sustenance for local people and the lifeline of the locality;

AND WHEREAS, the Lakhary Valley Wildlife Sanctuary comprises about 97 species of trees, 28 species of shrubs and herbs, 16 species of climbers, 14 species of grasses, 38 species of ferns, 26 species of orchids, 33 species of mammals, 90 species of birds, 05 species of amphibians, 31 species of reptiles and 17 species of fishes and hence exhibiting the rich floral and faunal biodiversity;

AND WHEREAS, the important flora recorded from the Sanctuary includes *Emblica officinalls* (amla), *Terminalia arjuna* (arjun), *Saraca indica* (ashok), *Ficus religiosa* (aswastha (papal), *Terminalia bellerica* (bahada), *Fiscus religiosa* (bara), *Aegle marmelos* (bei), *Santalum album* (chandan), *Michelia champaca* (champa), *Fiscus glomerata* (dimiri), *Ailanthus excels* (gohira), *Terminalia checula* (harida), *Azardirachta india* (neem), *Butea monsperma* (palasa), *Soymida febrifuge* (rohini), *Streblus asper* (sahada), *Hemidesmus indicus* (Anantamula), *Curcuma* spp. (bana haldi), *Phyllanthus niruri* (badianla), *Andrographis paniculata* (bhui neem), *Woodfordia furticosa* (dhatuki), *Nyctanthes arbortristis* (gangasiui), *Smilax macrophylla* (muturi), *Gymneva sylvestris* (gudmari), *Asparagus racemosus* (satabari), *Cuscuta reflexa* (nirmuli), *Cyonodon dactylon* (duba), *Cymbopogon citrates, Vanda testaceae* (rasna), etc.;

AND WHEREAS, the major fauna of the Lakhary Valley Wildlife Sanctuary are *Pterosus giganteus* (badudi), *Manis crassicaudata* (bajrakapta), *Cunon alpines* (balia kukur), *Felis chaus affinis* (Banabiradi (katash), *Sus scrofa* (barha), *Rautfa bicolor* (beleramusa), *Melursus ursinus* (bhalu), *Elephas maximum* (hati), *Hyaena hyaena* (Hetabagha), *Hystrix india* (jinka), *Panthera pradus* (Kalarapatiria bagha), *Muntiacus muntijak* (kutrua), *Herpestes edwardsi* (neula hatia), *Herpestes auropunctatus* (neula (kuji), *Lutura perspicillata* (odha), *Canis Lupus* (ramasiala), *Viverrucula indica* (saliapanti), *Cervus Unicolor* (sambar), *Megalaima zeylanica* (baya), *Merops orientails* (tiya), *Racophorus lencamystax* (katha benga), *Batagur Baska* (nadi kaincha), *Lissemys punctatta* (pokhari kaincha), *Gavialis gangeticus* (thantia kumbhira), *Chameleon zeylanicus* (bahurupi endua), *varanus falvescens* (matia godhi), *Eryx johni* (Do-mundia boa) , *Python molurus molurus* (ajagara), *chrysopelea ornate* (udanta sapa), *Bungarus fasciatus* (rana sapa), *Naja Oxiana* (kala naga), *Ophiophagus Hannah* (ahiraj), *Wallagonia attu* (balia), *Clarias batrachus* (magura), etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Lakhary Valley Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 3 (three) kilometres uniform around the boundary of Lakhary Valley Wildlife Sanctuary, in Gajapati district in the State of Odisha as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 3 (three) kilometres uniform around the boundary of Lakhary Valley Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 244 square kilometres.

   (2) The boundary description of Lakhary Valley Wildlife Sanctuaryand its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

   (3) The maps of the Lakhary Valley Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC, Annexure-IID** and **Annexure-IIE.**

(4) List of geo-coordinates of the boundary ofLakhary Valley Wildlife Sanctuaryand Eco-sensitive Zone are given in Table **A** andTable **B** of **Annexure III.**

(5) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Tourism;
(iv) Irrigation and Works Department (Roads and Building);
(v) Revenue Department and Odisha State Pollution Control Board
(vi) Agriculture;
(vii) Revenue;
(viii) Urban Development;
(ix) Rural Development;
(x) Municipal;
(xi) Panchayati Raj; and
(xii) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and similar places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified in this clause, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring

Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning laws and other rules and regulations of the Central Government or State Government as applicable and under the relevant provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning laws and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or any other law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner so as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.-(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per the Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.-All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall

be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.-Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.-Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.-Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed of in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.–Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016.

(12) Construction and demolition waste management.-The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

(13) E-waste.-The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.-Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Protection Act, 1986 and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. GodavarmanThirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
B. Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing	Taking measures of mitigation as per the applicable laws,

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	roads and construction of new roads.	rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.**-For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Collector, Gajapati	Chairman, ex officio
(ii)	Representative of Collector, Ganjam	Member;
(iii)	Superintendent of Police, Gajapati	Member;
(iv)	Representative of Superintendent of Police, Ganjam	Member;
(v)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(vi)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(vii)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;
(viii)	DFO, Berhampur Forest Division	Member;
(ix)	Divisional Forest Officer-cum-Wildlife Warden, Paralakhemundi Forest Division	Member-Secretary.

6. Terms of reference.–(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to the provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/01/2019-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OFLAKHARY VALLEY WILDLIFE SANCTUARY AND ECO-SENSITIVE ZONE OF THE LAKHARY VALLEY WILDLIFE SANCTUARY

Schedule-A

The boundary of the proposed Eco–sensitive Zone of the Sanctuary starts from the village Chandiput near tri junction – P.W.D Road (1) Chandiput to Mohana (2) Chandiput to Pudamari (3) Chandiput to Chandragiri. The boundary lines moves in the North-East direction and meets at village Mahakumpa to a distance of 4 (four) Kms. Then the line moves in East direction passes the P.W.D Road and the village Kurukuttaand meets at Kuttuma crossing over a distance of 8 (eight) kilometers. Then, the line move in the direction of South-East and cross the district boundary of Gajapati-Ganjam and meets at village Balipata crossing over 6 (six) kilometers. Then the line moves in the direction of South-East crossing over village Junapalli and Division boundary of Paralakhemundi – Berhampur Forest Division and meets at River Badajhara and village Sindhaba crossing over 5 (Five) Kms. Then the line moves in the direction of South and meets at village Bijayanagaragada crossing over 7 (seven)kilometers. Then the line moves in the South direction crossing over Ghodahada Irrigation Project and meets in the village Gopalpur crossing over 10 (ten) kilometers. Then the line moves in the direction of South-West and meet in the village Panipattu crossing over 5 (five) kilometers. Then the line moves in the direction of West crossing over the District Boundary of Ganjam-Gajapati and meets in the village Sialilati crossing over 9 (Nine) kilometers. Then the line moves in the direction North – West and meets at village Deraba crossing over 3 (three) kilometers. Then the line moves in the direction of West and meets at P.W. road crossing over 5 (five) kilometers. Then the line moves in the direction of North – West and meets at village Unakapur crossing over 3.5 (three and half) kilometers. Then the line moves in the direction of North – West and meets at village Tentulikhunti crossing over 2.5 (two and half) kilometers. Then the line moves on the direction of North – East and meets at a Nala crossing over 2 (two) kilometers. Then the line moves in the direction of West and meets at village Jalibari crossing over 5 (five) kilometers. Then the line moves in the direction of North and meets at Babanapur crossing over 1 (one) kilometers. Then the line moves in the direction of North – East and meets the starting point, the tri junction touching villages Dhadiamba, Kusumapur and Ranikhama over a distance of 7 (seven) kilometers.

Schedule-B

North:	Mohana to Luhagudi P.W.D road and village Talasingi, Handima and Rampadar.
East:	Gaida R.F. of Berhampur Forest Division and village Khajuria and Papulipadar.
South:	Gaida R.F. & District boundary of Ganjam and Gajapati.
West:	Guimera R.F. and village Sinkulipadar and Baghamari.

ANNEXURE-IIA

LOCATION MAP OF LAKHARY VALLEY WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

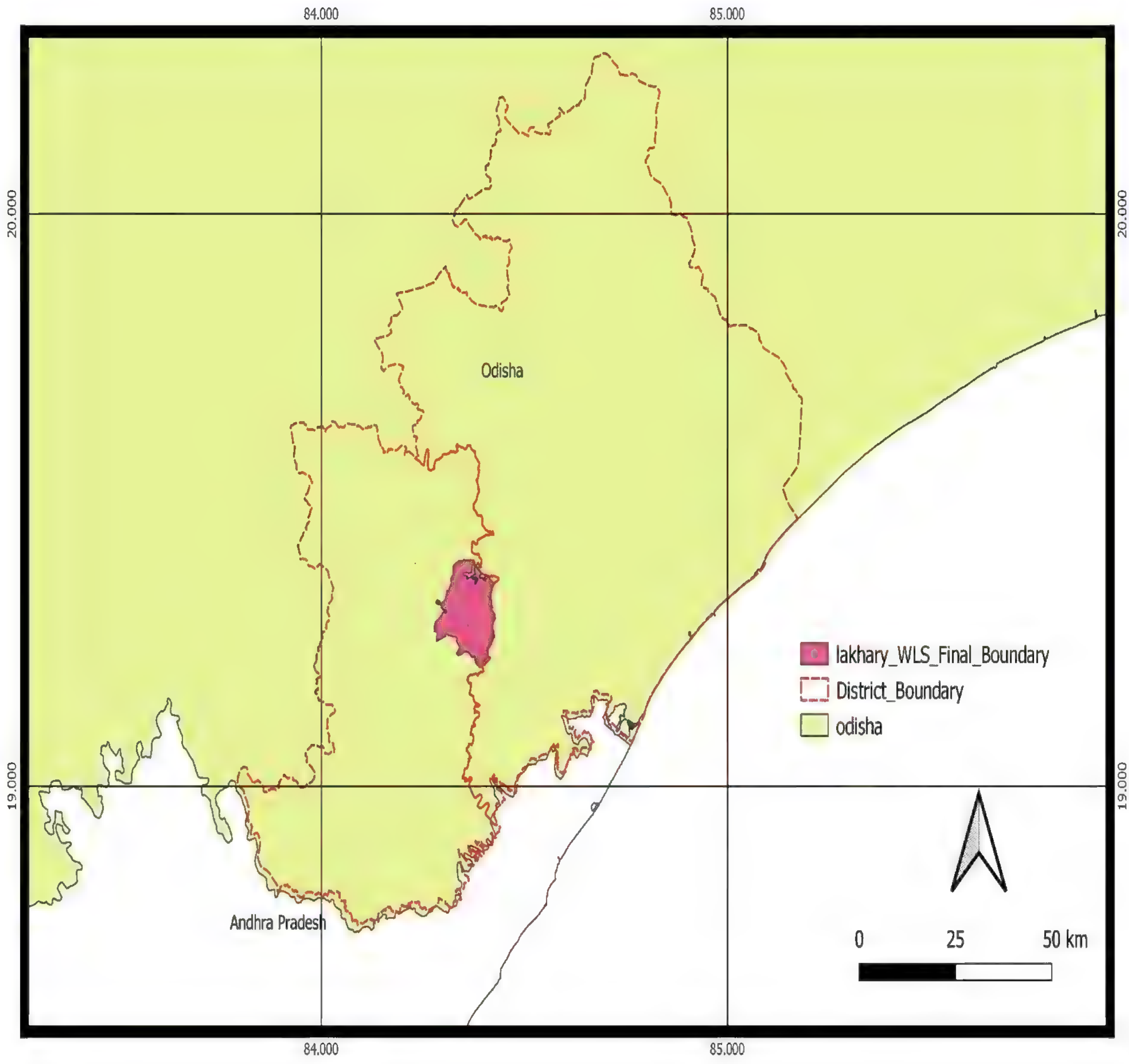

ANNEXURE-IIB

MAP OF LAKHARY VALLEY WILDLIFE SANCTUARY AND EXTENT OF ECO-SENSITIVE ZONE IN THE STATE ODISHA

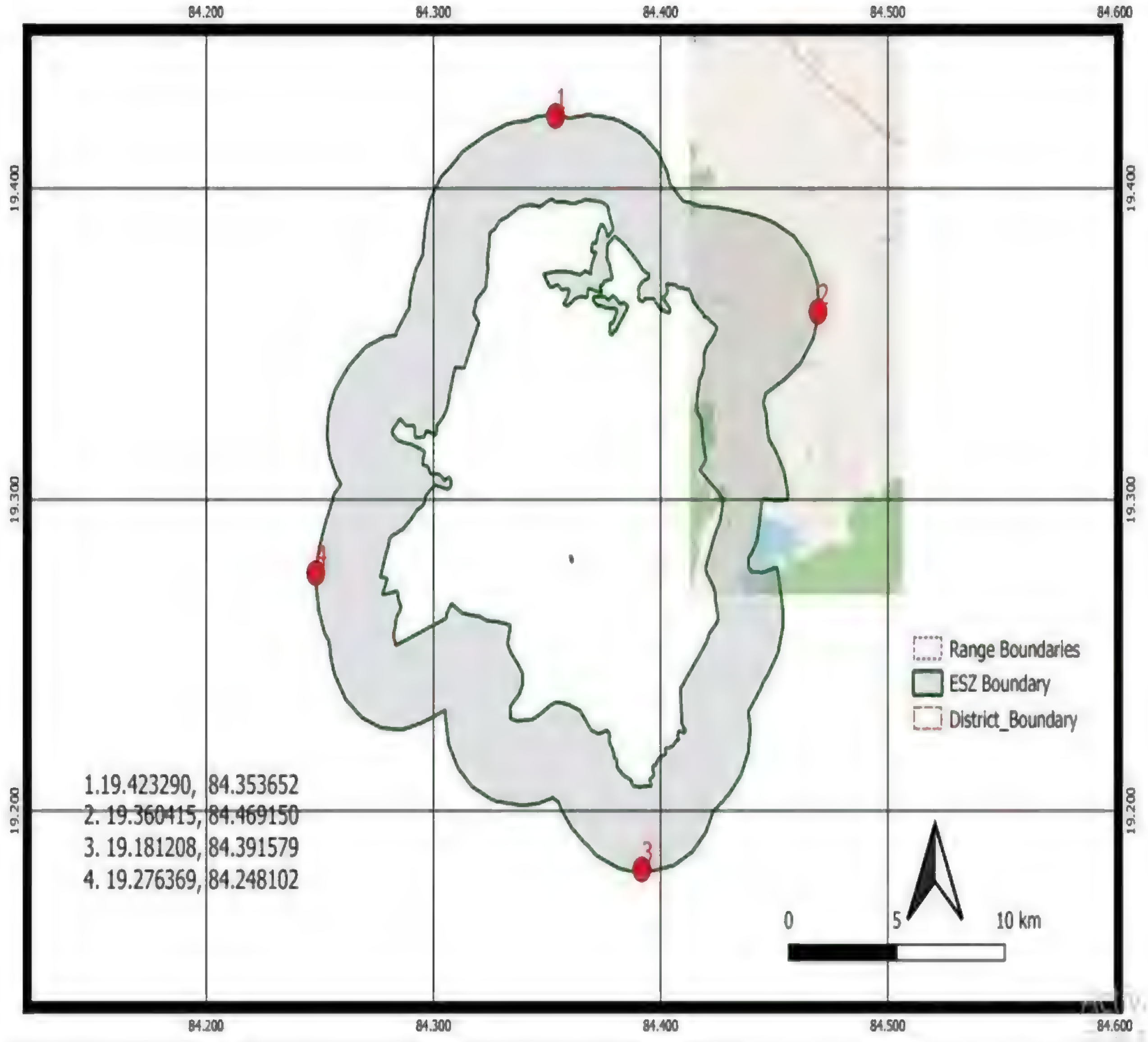

ANNEXURE-IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF LAKHARY VALLEY WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

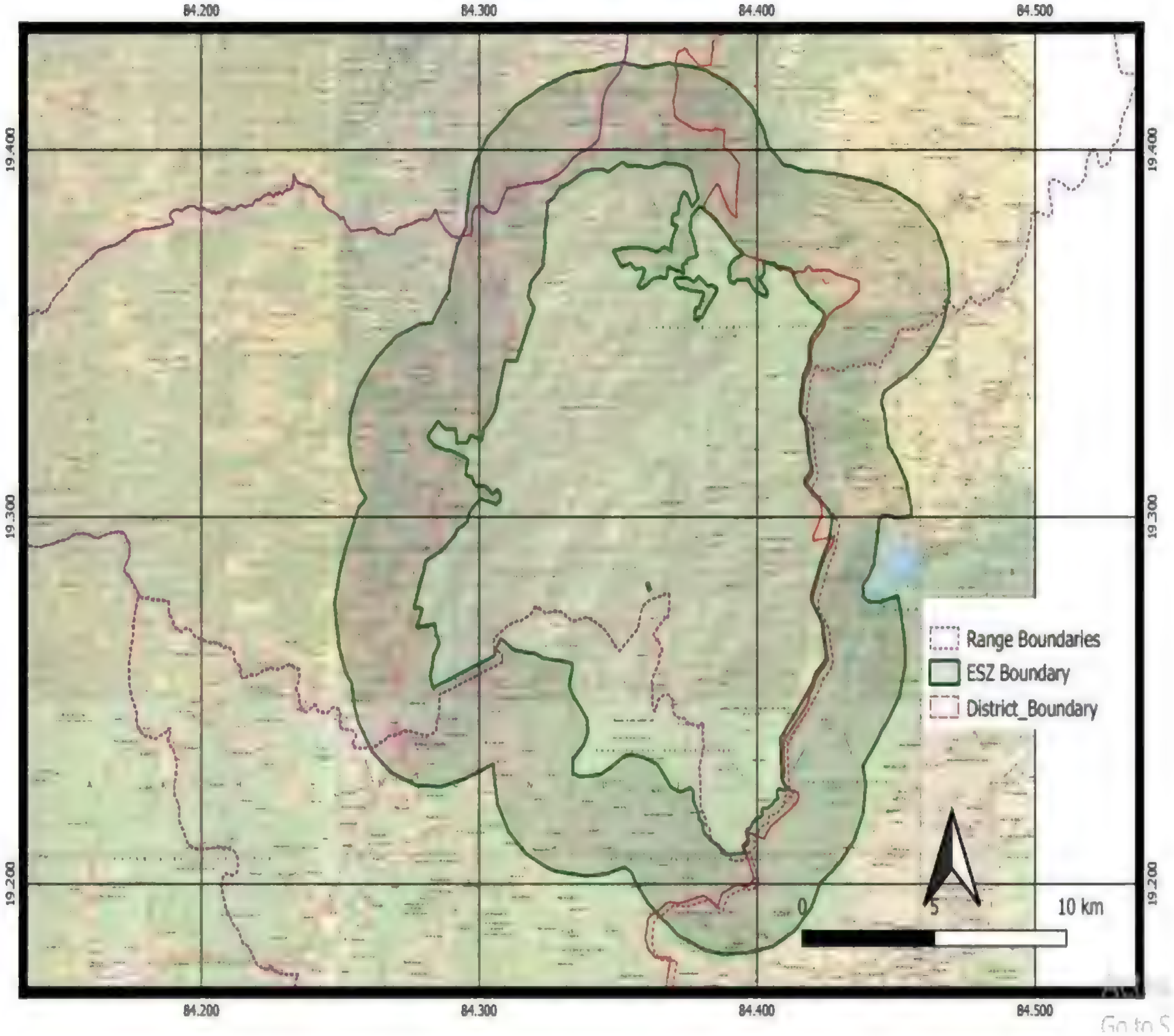

ANNEXURE- IID

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF LAKHARY VALLEY WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

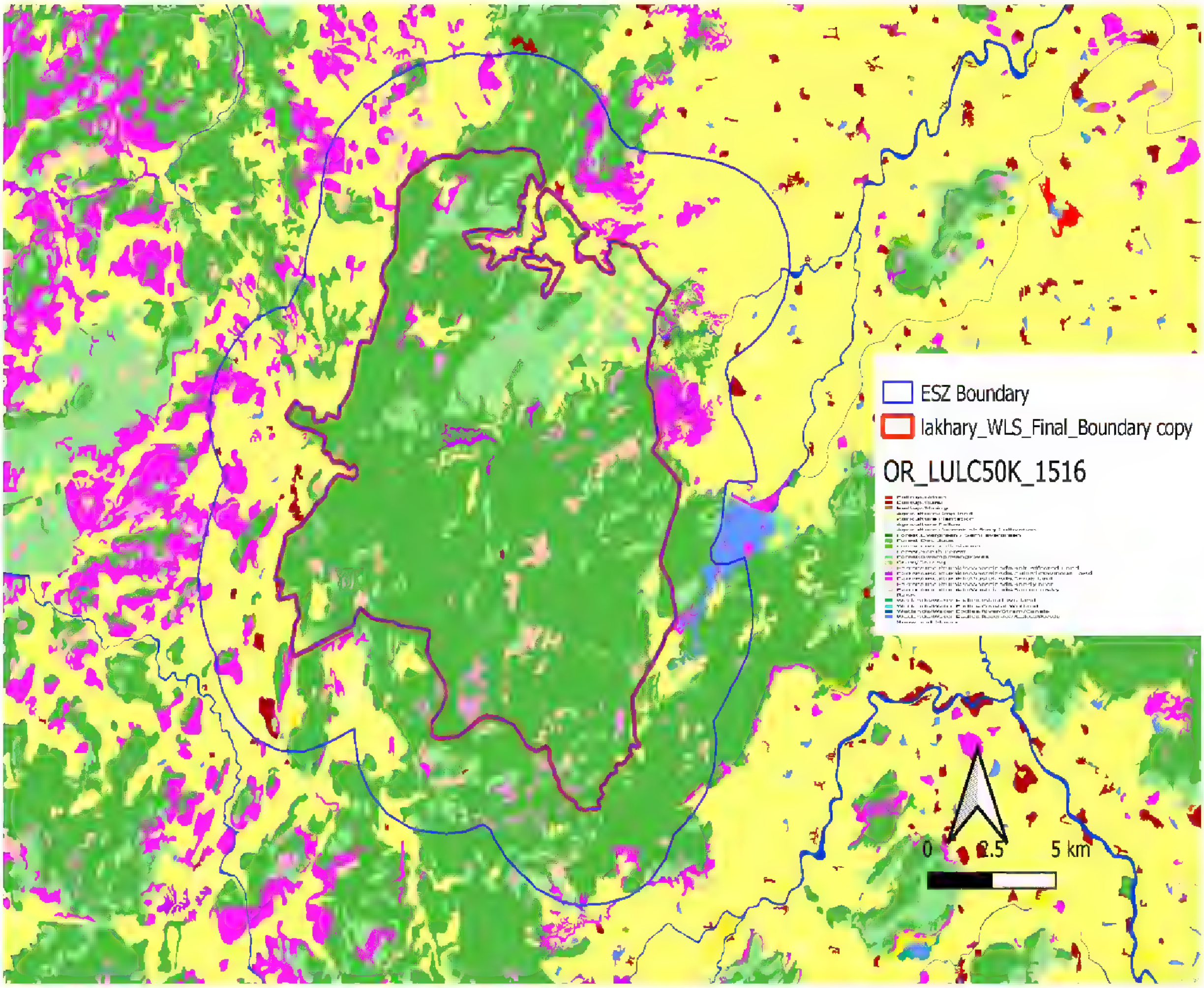

ANNEXURE-IIE

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF LAKHARY VALLEY WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

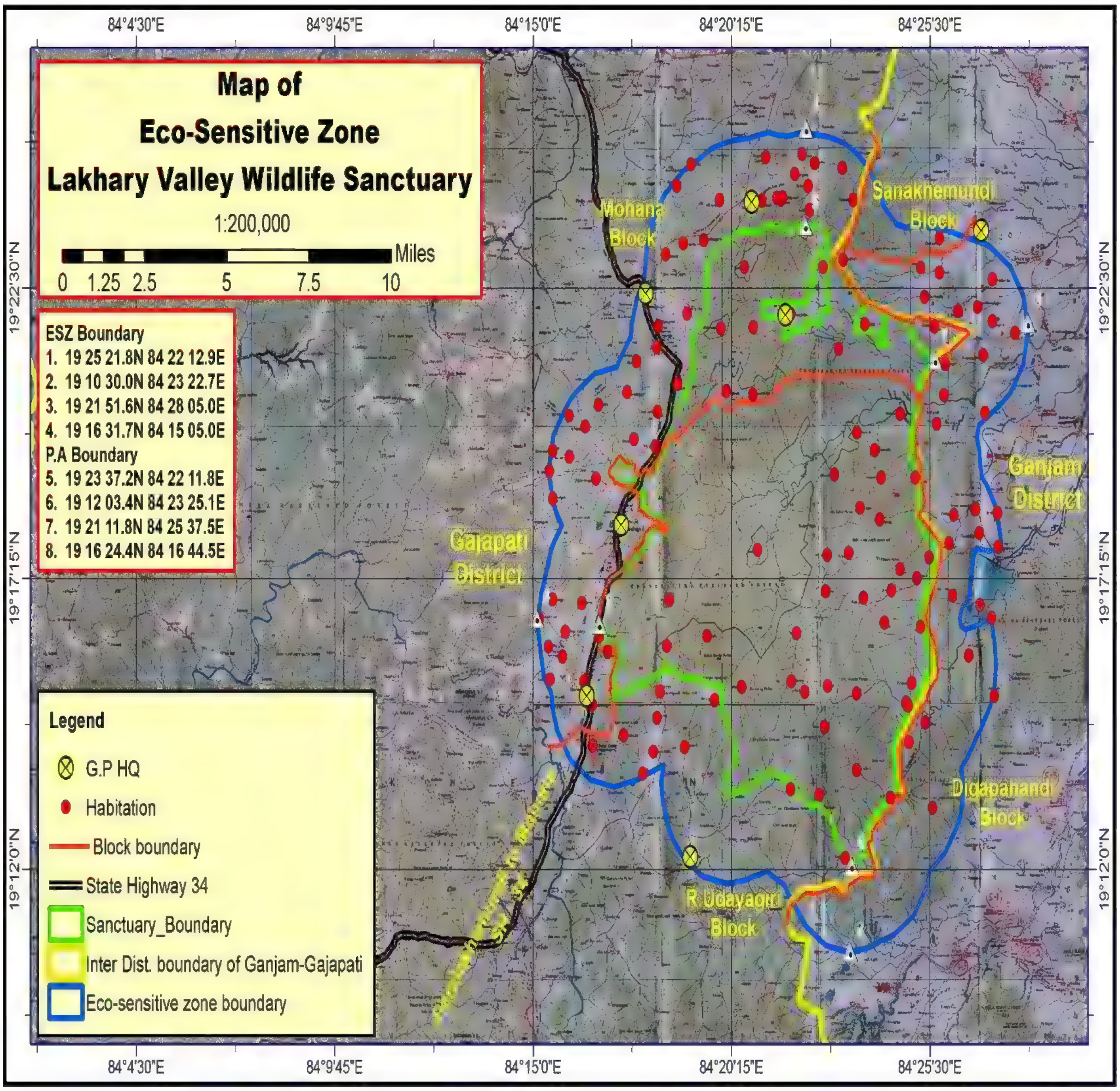

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF LAKHARY VALLEY WILDLIFE SANCTUARY

Direction	Latitude	Longitude
North -	N19° 23’ 37.2’’	E 84° 22’ 11.8’’
South -	N19° 10’ 30.0”	E 84° 23’ 22.7”

East -	N19° 21' 51.6"	E 84° 28' 5.0"
West -	N19° 16' 31.7"	E 84° 15' 5.0"

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Direction	Latitude	Longitude
North	N19° 25' 21.8''	E 84° 22' 12.9''
East	N19° 21' 11.8"	E 84° 25' 37.5"
South	N19° 12' 3.4"	E 84° 23' 25.1"
West	N19° 16' 24.4"	E 84° 16' 44.5"

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF LAKHARY VALLEY WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No.	Name of the Revenue Village	Latitude	Longitude
1	**2**	**3**	**4**
1	Mahakumpa	N-19° 24' 19.9''	E- 84° 18' 48.2''
2	Kampaguda	N-19° 24' 5.1"	E- 84° 19' 55.6"
3	Patharagada	N-19° 23' 22.3"	E- 84° 19' 30.0"
4	Dhanupara	N-19° 23' 19.1"	E- 84° 18' 58.0"
5	Taramala	N-19° 23' 8.6"	E- 84° 18' 29.1"
6	Jurilapara	N-19° 22' 55.8"	E- 84° 17' 37.2"
7	Chandiput	N-19° 22' 26.7"	E- 84° 18' 0.0"
8	Khumbhigaon	N-19° 22' 3.1"	E- 84° 19' 4.3"
9	Kapuripeta	N-19° 21' 50.3"	E- 84° 18' 17.8"
10	Ranikhama	N-19° 21' 58.6"	E- 84° 17' 32.5"
11	Akili	N-19° 21' 24.9"	E- 84° 18' 16.8"
12	Kusampur	N-19° 21' 17.0"	E- 84° 17' 13.8"
13	Rajpur	N-19° 21' 12.6"	E- 84° 17' 46.3"
14	Dhimirijola	N-19° 20' 38.4"	E- 84° 17' 29.6"
15	Manikapur	N-19° 20' 47.3"	E- 84° 18' 49.5"
16	Gobindapur	N-19° 20' 16.2"	E- 84° 18' 17.3"
17	Baipani	N-19° 20' 23.9"	E- 84° 16' 42.6"
18	Dhanupaju	N-18^0 19' 42.0"	E- 84° 17' 45.6"
19	Jubagaon	N-19° 19' 37.9"	E- 84° 18' 15.6"
20	Dhadiamba	N-19° 20'13.0"	E- 84° 15' 57.0"
21	Jodamba	N-19° 19' 59.5"	E- 84° 16' 21.4"
22	Babanpur	N-19° 19' 34.7"	E- 84° 15' 31.7"
23	Kihisingi	N-19° 19' 27.8"	E- 84° 15' 52.3"

24	Jalabari	N-19° 19' 13.0"	E- 84° 15' 26.0"
25	Jagannathpur	N-19° 19' 3.4"	E- 84° 16' 37.9"
26	Barigaon	N-19° 18' 41.5"	E- 84° 15' 30.4"
27	Chandragiri	N-19° 18' 12.7"	E- 84° 17' 20.7"
28	Kantasaru	N-19° 17' 6.3"	E- 84° 15' 35.1"
29	Jirango	N-19° 16' 51.7"	E- 84° 15' 30.2"
30	Tentulikhunti	N-19° 16' 32.8"	E- 84° 15' 9.5"
31	Jirango Colony	N-19° 16' 12.4"	E- 84° 15' 47.7"
32	Lambapada	N-19° 15' 56.4"	E- 84° 17' 0"
33	Tanklipadar	N-19° 16' 12.9"	E- 84° 16' 45.0"
34	Manikapur	N-19° 15' 24.4"	E- 84° 16' 44.3"
35	Labarsingi	N-19° 15' 11.8"	E- 84° 16' 8.8"
36	Lubursingi	N-19° 14' 59.0	" E- 84° 16' 34.4"
37	Pitamahula	N-19° 24' 7.2"	E- 84° 23' 25.9"
38	Kuttama	N-19° 24' 20.0"	E- 84° 22' 15.7"
39	Baharadara	N-19° 23' 55.5	" E- 84° 22' 20.3"
40	Katima	N-19° 24' 38.2"	E- 84° 23' 10.8"
41	Dengamba	N-19° 24' 32.1"	E- 84° 21' 56.2"
42	Kurukutta	N-19° 24' 55.5"	E- 84° 22' 6.8"
43	Dengamba	N-19° 24' 52.4"	E- 84° 21' 9.9"
44	Sinkulipadar	N-19° 24' 1.9"	E- 84° 20' 48.3"
45	Padasahi	N-19° 24' 5.2"	E- 84° 21' 4.0"
46	Guburikhata	N-19° 24' 6.2"	E- 84° 21' 33.6"
47	Pattapadar	N-19° 24' 8.0"	E- 84° 21' 37.2"
48	Puipadar	N-19° 24' 8.0"	E- 84° 21' 27.7"
49	Andhari	N-19° 21' 51.5"	E- 84° 23' 84.2"
50	Mahendragada	N-19° 13' 44.1"	E- 84° 16' 14.3"
51	Sugada	N-19° 14' 43.3"	E- 84° 18' 16.9"
52	Arakhapada	N-19° 16' 2.0"	E- 84° 18' 32.8"
53	Bhandarisahi	N-19° 14' 9.1"	E- 84° 18' 11.1"
54	Tuburuba	N-19° 13' 44.1"	E- 84° 17' 54.6"
55	Deraba	N-19° 13' 43.6"	E- 84° 18' 30.30"
56	Sialilati	N-19° 12' 12.3"	E- 84° 19' 8.9"
57	Kuanpada	N-19° 12' 48.4"	E- 84° 17' 43.8"
58	Luhakhamba	N-19° 13' 20.2"	E- 84° 19' 14.3"
59	Jholla	N-19° 13' 40.1"	E- 84° 19' 34.3"
60	Kurudal	N-19° 14' 12.4"	E- 84° 19' 2.3"
61	Randiba	N-19° 08' 16.6"	E- 84° 15' 9.1"
62	Jubasahi	N-19° 12' 51.9"	E- 84° 20' 25.3"
63	Dhanupada	N-19° 12' 30.5"	E- 84° 20' 34.6"

64	Baisingi	N-19° 13’ 11.1”	E- 84° 20’ 53.7”
65	Gandili	N-19° 13’ 26.8”	E- 84° 21’ 47.7”
66	Tambal	N-19° 12’ 12.07”	E- 84° 23’ 15.0”
67	Panipatu	N-19° 10’ 59.8”	E- 84° 23’ 53.6”
68	Arakhapada	N-19° 11’ 7.3”	E- 84° 24’ 2.6”
69	Muningabarha	N-19° 13’ 2”	E-84° 24’ 38.3”
70	Dekhili	N-19° 13’ 48.6”	E-84° 24’ 43.7”
71	Badapur	N-19° 14’ 37.8”	E-84° 25’ 22.7”
72	Nuagaon	N-19° 14’ 57.4”	E-84° 24’ 55.5”
73	Pratapur	N-19° 16’ 23.1”	E-84° 25’ 14.7”
74	Turupanka	N-19° 15’ 22.7”	E-84° 25’ 1.2”
75	Mahulabada	N-19° 15’ 58.8”	E-84° 26’ 35.7”
76	Mahulaparha	N-19° 14’ 57.7”	E-84° 25’ 32.6”
77	Khalikandhagaon	N-19° 18’ 2.6”	E-84° 26’ 48.9”
78	Khajuria	N-19° 17’ 1.0”	E-84° 25’ 48.8”
79	Dhimbrijholi	N-19° 17’ 53.1”	E-84° 26’ 0.1”
80	Bijayanagargada	N-19° 17’ 49.2”	E-84° 27’ 19.4”
81	Gobarbalasa	N-19° 17’ 49.5”	E-84° 27’ 43.3”
82	Khambarigaon	N-19° 18’ 2.6”	E-84° 26’ 48.9”
83	Baritala	N-19° 18’ 30.7”	E-84° 27’ 20”
84	Patipada	N-19° 18’ 24.8”	E-84° 25’ 5.5”
84	NuaSankarakhali	N-19° 18’ 24.8”	E-84° 26’ 8.2”
85	PurunaSankarakhali	N-19° 18’ 30.4”	E-84° 26’ 40.8”
86	Putakhali	N-19° 19’ 41.9”	E-84° 26’ 9.1”
87	Badapada	N-19° 20’ 19.3”	E-84° 25’ 26.9”
88	Syamasundarpur	N-19° 21’ 18.2”	E-84° 26’ 54.3”
89	Sindhaba	N-19° 21’ 13.7”	E-84° 27’ 28.6”
90	Gothokeli	N-19° 21’ 47.2”	E-84° 25’ 33.5”
91	Balibandha	N-19° 22’ 20.1”	E-84° 25’ 21.3”
92	Juanipalli	N-19° 22’ 06”	E-84° 26’ 12.7”
93	Balipatti	N-19° 22’ 52.1”	E-84° 25’ 15.6”
94	Chanchadapalli	N-19° 13’ 23.8”	E-84° 32’ 44.6”
95	Pudakhala	N-19° 23’ 07”	E-84° 28’ 10.9”
96	Allara	N-19° 22’ 52.7”	E-84° 22’ 42.2”
97	Dhepaguda	N-19° 22’ 2.4”	E-84° 21’ 47.8”

ANNEXURE–V

Performa of Action Taken Report:-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA